

गाँव से लोक सभा की बहोत ही दूरी । ग्राम सभा है बहोत जरूरी ।।



अनुसूचित क्षेत्र

- आवासों का समूह का, छोटा गांव या टोला का समूह
- परंपरा और रूढ़ियों के अनुसार कार्यकलापों का प्रबंध करेगा

गैर अनुसूचित क्षेत्र

- राजस्व गांव में रहनेवाले 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों जिनका नाम मतदाता सूचि में है उनका निकाय

ग्रामसभा का सदस्य

18 साल से ऊपर हर व्यक्ति जिनका मतदाता सूचि में नाम है, वह ग्राम के सदस्य होते हैं

